न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 94–पीबीआर/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 20–10–2014 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी गौहरगंज जिला रायसेन, प्रकरण कमांक 09/अपील/2014–15.

1–दिलीपसिंह आत्मज स्व0श्री छेलूराम
2–गिरधारी सिंह आत्मज स्व.श्री छेलूराम
3–अत्तरसिंह आत्मज स्व0श्री छेलूराम
4–रिसालसिंह आत्मज स्व0श्री छेलूराम
निवासीगण ग्राम देलावाड़ी ग्राम बमनई,
तहसील गौहरगंज जिला रायसेन म0प्र0
5–शिवलाल आत्मज श्री रिछपालसिंह
निवासी ग्राम पवेरा तहसील नारनोल जिला महेन्द्रगढ
हरियाणा
6–श्रीमती निम्वोबाई पत्नि श्री हरफूल सिंह
पुत्री स्व श्री रिछपालसिंह
7–संतरा पत्नि टैकचन्द पुत्री स्व.श्री रिछपालसिंह
निवासी सागरपुर(इमराड़ा) तहसील नारनोल जिला महेन्द्रगढ
हरियाणा
8–श्रीमती सजनीबाई पत्नि स्व0श्री सज्जनसिंह पुत्री स्व.श्री रिछपालसिंह
9–कपूरसिंह आत्मज श्री सज्जनसिंह पुत्र स्व.श्री रिछपालसिंह
10–परमवीरसिंह आत्मज स्व.श्री सज्जनसिंह पुत्र स्व0श्री रिछपालसिंह
11–लखपति आत्मज स्व0श्री सज्जनसिह पुत्र स्व.श्री रिछपालसिंह
क. 8 से 11 तक निवासी पवेरा तहसील नारनोले जिला महेन्द्रगढ
हरियाणा

.....आवेदकगण

विरूद्ध

1–शीशराम आत्मज श्री सुखराम
2–महावीरसिंह आत्मज श्री सुखराम
3–भूपेन्द्रसिंह आत्मज श्री सुखराम
4–प्रीतमसिंह आत्मज श्री सुखराम
निवासी गण ग्राम देलावाड़ी,कृषक ग्राम बमनई,
तहसील गौहरगंज जिला रायसेन म0प्र0

.....अनावेदकगण

श्री एच0आर0पटेल, अभिभाषक, आवेदकगण

श्री मेहरबानसिंह, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 12/8/16 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी गौहरगंज जिला रायसेन द्वारा पारित आदेश 20–10–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदकगण द्वारा नामान्तरण पंजी कमांक 2 पर पारित प्रमाणीकरण आदेश दिनांक 17–11–1961 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील दिनांक 8–1–2015 को 54 वर्ष को प्रस्तुत की गई है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील प्रकरण कमांक 09/अपील/2014–15 दर्ज कर दिनांक 20–10–2014 को आदेश पारित कर विलम्ब क्षमा किया जाकर अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदकगण द्वारा वर्ष 1961 में की गई प्रविष्टि को लगभग 54 वर्ष पश्चात् चुनौती दी गई है, जबकि वर्तमान में तीसरी पीढ़ी चल रही हैं, अतः इतने अत्यधिक विलम्ब को क्षमा करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की गई है । यह भी कहा गया कि प्रश्नाधीन भूमि संयुक्त परिवार की भूमि है और चूँकि तत्समय संयुक्त परिवार एकसाथ रहते थे इसलिये भूमि किसके नाम से कय की गई यह महत्वहीन है । तर्क में यह भी कहा गया कि विधवा भूमिस्वामी द्वारा आवेदकगण के पक्ष में शपथपत्र भी निष्पादित किया गया है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदकगण द्वारा प्रश्नाधीन भूमि संयुक्त स्वामित्व की होना स्वीकार किया जाकर भूमि वर्ष 1953 में कय की गई थी, तब संयुक्त परिवार थे ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 179–पीबीआर/2015 में आवेदकगण द्वारा हरियाणा में रहने का लाभ लिया गया है, तब निश्चित रूप से वर्ष 1961 में की गई प्रविष्टी की जानकारी अनावेदकगण को नहीं थी । यह भी कहा गया कि मृतक भूमिस्वामी की स्वअर्जित संपत्ति थी और वे मिलट्री के एक्स मेजर थे । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण द्वारा कूटरचना कर अनावेदकगण के पिता की भूमि अपने नाम करा ली गई है। इस प्रकार तहसील न्यायालय के आदेश में गम्भीर अनियमितता होने से अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विलम्ब क्षमा करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को के सन्दर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । इन्हीं पक्षकारों से संबंधित निगरानी प्रकरण कमांक 179–पीबीआर/15 में पारित आदेश दिनांक 2–12–2015 को आदेश पारित किया जाकर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा स्वीकार की जाकर अवधि विधान की धारा 5 में छूट के आवेदन पत्र की पुष्टि की गई है, अतः इस प्रकरण में भी समानता के सिद्धांत के आधार पर दूसरे पक्ष को समान रूप से लाभ मिलना चाहिये । इस प्रकार अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विलंम्ब क्षमा करने में अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार करने में वैधानिक कार्यवाही की गई है, इसलिये उनका आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी गौहरगंज जिला रायसेन द्वारा पारित आदेश 20–10–2014 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर